

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
Interlocutory Application NO. OF 2025

IN

Mis Application NO. 61 OF 2023

IN

ORIGINAL APPLICATION (O.A) NO. 736 OF 2018

IN THE MATTER OF:

Chander Shekhar Gupta

Applicant

Versus

State of Utter Pradesh & Other

Respondent

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Affidavit	1
2.	Reply to Interlocutory Application No. / 2025 (English Version)	2-5
3.	Interlocutory Application No. / 2025 (Hindi Version)	6-12
4.	News item relating to alleged land scam involving Shri Somendra Tomar, Hon'ble Minister	13
5.	Apology letter denying the information allegedly provided to the Applicant by land mafias on 13.04.2013 regarding cow sacrifice	14
6.	Final Report dated 27.10.2014 in FIR No. 535/2014, lodged by Akshay Jain S/o Rajiv Jain, pertaining to allegations of extortion, concluding that no demand for extortion was made	15-18
7.	Record of action taken on 18.09.2017 against the Applicant in Case No. 0537/2017 for alleged extortion by land mafias who had encroached upon the public park	19-31
8.	Copy of the application submitted by the Applicant to the Senior Superintendent of Police on 20.07.2020 concerning false FIR No. 0537/2017 alleging extortion	33
9.	FIR No. 250/2013 dated 21.04.2013 registered against Prathon Dora, Rajiv Jain, Mange Ram Jain, and others	34 - 36
10.	Record relating to the complaint made by Rajiv Jain alleging that the Applicant was crushed by a car, and the subsequent written report submitted by the police to the Senior Superintendent of Police after examination of CCTV footage	37-39

11.	Documents dated 18.09.2019 relating to FIR No. 0585, filed by the Applicant against Rajiv Jain	40-42
12.	Copy of false Case No. 448 lodged by Sonu S/o Devraj, an associate/employee of Rajiv Jain, against the Applicant and his son	43-45
13.	Letter dated 13.10.2025 addressed by the Applicant to the District Magistrate, enclosing a copy of the application seeking re-medical examination of Sonu S/o Devraj by a medical board comprising five doctors	46
14.	FIR No. 0022 dated 12.02.2021, falsely lodged against the Applicant by Shri Shailesh Yadav, along with the written statement dated 22.01.2021 issued by the Electricity Department confirming deposit of the entire electricity bill amounting to ₹7,621/-	47-50
15.	FIR No. 0197/2017 registered against Ajay Sehgal @ Son Sehgal, a history-sheeter and convicted criminal, and Badan Singh Badron (life convict), for escaping from police custody and for illegal occupation of Jagannathpuri Public Park	51-53
16.	Copy of the application dated 04.08.2025 submitted by the Applicant to the Senior Superintendent of Police, Meerut, concerning four false cases registered against him	54-58
17.	Audio-video recordings including CCTV footage showing Charanjeet Bhatia, Ajay Sehgal, Rajiv Jain, and others entering the Applicant's factory; audio-video clips of Charanjeet Bhatia and Ajay Sehgal dancing and singing; and footage depicting Ajay Sehgal in handcuffs	59

Applicant in person

Date: 13th December 2025



Chander Shekhar Gupta

103 Gali No 3 Sai Puram

Dr. D. Road Meerut UP 250002

Mobile No. 7906792648

E-mail: chander_shekhara_practice@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(U/s 26 of the National Green Tribunal Act 2010)

Interlocutory Application No. _____ / 2025

in M.A. NO. 61 / 2023

in O.A. NO. 736 / 2018

In the matter of :

Chandra Shekhar Gupta

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

.....Respondent


Affidavit

I Chander Shekhar Gupta S/o Late Shrikishan Gupta R/o 103, Gali No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut (U.P.) do hereby solemnly verify and declare as under:-

That the content of the accompanying application are true and to the best of my knowledge and belief.

That the annexure are true copy of its original.

Deponent



Verification:-

Verified at Meerut on _____ that the affidavit are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed there from nor any part of its is false.

Deponent

Dated: 19-12-2025

NOTARY

ATTESTED

NOTARY PUBLIC MEERUT

12/12/25

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
Interlocutory Application NO. OF 2025
IN
Mis Application NO. 61 OF 2023
IN
ORIGINAL APPLICATION (O.A) NO. 736 OF 2018**

IN THE MATTER OF:

Chander Shekhar Gupta

Applicant

Versus

State of Utter Pradesh & Other

Respondent

The Hon'ble Chairperson,

His Lordship Companion Hon'ble Judges, and Hon'ble Expert Members

Introduction of the Applicant: Chandra Shekhar Gupta and His Family

1. The applicant, **Shri Chandra Shekhar Gupta**, commenced a business of manufacturing and supplying bedsheets and pillow covers in the year **1985**, under the name **Tad Mithlesh Handloom Factory**. In **1994**, the applicant established a printing unit for bedsheets and pillow covers at **Sai Puram, Meerut**.
2. The applicant's elder son, **Akash Gupta**, is a **Chartered Accountant** and proprietor of **Akash Chandra Associates**, situated at **103, Street No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut**.
3. The applicant's younger son, **Badal Gupta**, formerly operated an iron bright bar business under the name **M/s Pitambara Steel**, also located at **103, Gali No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut**.

Interlocutory Application Filed by Encroachers

An Interlocutory Application has been filed by **Smt. Kiran Bhatia, w/o Charanjit Singh Bhatia alias Happy**, with the intention of derailing the proceedings related to public park encroachments. The said persons, along with their associates, have illegally encroached upon public parks situated in **Sai Puram, Jagannathpuri, Mangantpuram,**

The key encroachers include:

- Kiran Bhatia, Charanjit Singh Bhatia alias Happy (Sai Puram Public Park)
- Rakesh Makkad, Dharamveer Duggal, Raghuveer Singh alias Munim, Mehar Singh (Bhau Sai Puram Public Park)
- Ajay Sehgal alias Sonu, Renu Gupta (wife of Shiv Kumar Gupta), Rahul Chavda, Varun Chavda, Novi (Jagannathpuri Public Park)

Many of these individuals are direct associates and henchmen of **Badan Singh alias Baddo**, a most-wanted criminal carrying a reward of Rs 5,00,000. Several are named accused in the conspiracy to facilitate his escape from police custody. Their associates include **Akshay Jain, Rajiv Jain, and Sanjay Gupta**.

For several years, **Shri Somendra Tomar**, Minister of State for Energy, Government of Uttar Pradesh, has been extending patronage to these criminal elements. Shri Tomar himself has encroached upon approximately **2,000 sq. meters** of the **Jagannathpuri Public Park**.

To pressurize and silence the applicant, these individuals have orchestrated a conspiracy to implicate him in **multiple false criminal cases** across various police stations in Meerut, with the ultimate aim of removing him from the public park encroachment matters. All the above persons are professional land grabbers operating in a coordinated manner.

Their legal accomplice, **Advocate Rohtash Agarwal**, President of Meru Ward, falsely claims to be former Chairman of the UP Ward Council. In reality, he contested the election but allegedly manipulated the vote count to declare himself elected, and was subsequently removed after recounting. One of his close associates, **Sanjay Gupta**, is also implicated.

False Cases Registered Against the Applicant

1. False Allegation of Animal Sacrifice (12.04.2013)

A false complaint was made alleging that the applicant slaughtered a cow and a calf. A written apology by the complainants was submitted the very next day on **13.04.2013**. (Annexure)

2. Extortion Case (FIR No. 535/14, P.S. Brahampuri)

Filed on **27.10.2014** by **Akshay Jain**, alleging extortion under Section 384 IPC. After investigation, the police filed a Final Report on **07.01.2015**, categorically stating that no extortion took place. (FR No. 8/15 – Annexure)

3. FIR No. 0537/2017 – False Allegations of Extortion and Threats

Registered on **18.09.2017** against the applicant under Sections 384, 504, 506 IPC by persons including **Ajay Sehgal alias Sonu, Charanjit Bhatia alias Happy, Akshay Jain, Rakesh Makkad, Shiv Kumar Gupta, and Sanjay Gupta**.

On **20.07.2020**, **Charanjit Bhatia** and **Ajay Sehgal** telephonically informed the applicant that they would "compromise all cases including extortion." (Annexure – CD)

4. Factory Trespass and Assault (20.04.2019)

On 20.04.2019, **Rajiv Jain**, along with about eleven associates, forcibly entered the applicant's factory, abused his wife **Smt. Rashmi**, physically assaulted his son **Akash Gupta**, and issued threats to kill them. Complete CCTV footage was submitted to the authorities.

The applicant lodged **FIR No. 250/2019** on 21.04.2019 under Sections 147, 148, 452, 323, 506 IPC at P.S. Brahampuri. Despite receiving the CCTV CD, the police did not submit it with the charge sheet.

5. Attempt to Kill the Applicant (07.09.2019)

On the night of 07.09.2019, **Rajiv Jain** attempted to run over the applicant with his car. Footage was reviewed by the police. Subsequently, a false **FIR No. 585/2019** under Sections 147, 148, 336, 504, 506, 427 IPC was filed against the applicant by CO **Chakrapani Tripathi**, allegedly after receiving illegal gratification.

The SSP, Meerut confirmed in writing that the chargesheet had been filed and identities of three accused remained unverified. (Annexure

6. False FIR by Sonu S/o Devraj (30.07.2020)

A false FIR No. 448/2020 was filed by **Sonu s/o Devraj**, despite the fact that on **20.04.2019**, the same persons had accompanied **Rajiv Jain** during the trespass incident and misbehaved with the applicant's wife.

The applicant submitted a representation to the District Magistrate seeking a **second medical examination by a five-doctor panel**. (Annexure

7. False Electricity-Related FIR (12.02.2021)

FIR No. 0022/2021 was lodged under Sections 353, 504, 506 IPC by **JE Shailendra Yadav**, even though the applicant immediately paid the alleged electricity dues of ₹,621 on **22.01.2021** (Receipt No. 180594008873). The connection was falsely shown as PD since 2016 to fabricate a criminal case. (Annexure

8. Cases Against the Encroachers Themselves

It is noteworthy that **Ajay Sehgal** alias **Sonu Sehgal** is accused in:

- FIR No. 0537/2017 (false extortion case against applicant)
- FIR No. 0197/2019 under Sections 221, 224, 120-B, 222, 204, 223, 225, 420, 467, 468, 471, 472 IPC at P.S. Brahampuri for helping *most-wanted criminal* **Badan Singh Baddo** escape from custody.

Charge sheets have been filed before the Special Court CJM.

Evidence Submitted

1. Audio recording of telephone calls by **Charanjit Bhatia** and **Ajay Sehgal** dated 20.07.2020.
2. CCTV footage of the trespass and assault by **Rajiv Jain** and others on 20.04.2019.

3. Audio/video of **Charanjit Bhatia, Rakesh Makkad, Ajay Sehgal, Latu Makkad, etc.**, dancing with most-wanted criminal **Badan Singh Baddo**.
4. Audio/video of **Ajay Sehgal** being escorted to court by police.
5. Photograph of **Charanjit Bhatia** taking a selfie with **Badan Singh Baddo**.

Conclusion


1. The present **IA No. 9A**, filed by **Kiran Arya w/o Charanjit Bhatia**, is a deliberate attempt to divert the Tribunal's attention from the Sai Puram Public Park encroachment matter.
2. The land mafia occupying Sai Puram Public Park are intentionally delaying proceedings as part of a coordinated conspiracy.
3. By filing multiple false criminal cases, the encroachers are attempting to pressurize the applicant into withdrawing or compromising the public park cases.
4. Advocate **Rohtash Agarwal** is being used by these individuals to influence court matters.
5. Minister **Saumendra Tomar**, Minister of State for Energy, U.P., is actively supporting these land mafias.
6. The order dated **23.04.2025**, issued by the Government of Uttar Pradesh (Housing & Urban Planning Section-8), was passed on incomplete records, as crucial documents including **Map No. 61** were not placed before the Meerut Development Authority.

Prayer

In view of the above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

1. **Direct removal of all illegal encroachments from Sai Puram Public Park** forthwith.
2. **Issue directions to the District Magistrate, Meerut, Shri Deepak Meena**, to take strict action against officials of the Meerut Development Authority who colluded with land mafias and submitted false reports before the Tribunal.

Such other orders may also be passed as this Hon'ble Tribunal deems fit in the interest of justice.



Applicant in person

Date: 13th December 2025

Chander Shekhar Gupta
 103 Gali No 3 Sai Puram
 Delhi Road Meerut UP 250002
 Mobile No. 7906792648
 E-mail: cakashgupta4practice@gmail.com

Before The National Green Tribunal.
Principal Bench, New Delhi

Interlocutory Application No.

2025

in
M.A. No. 61/2023

in
O.A. No. 736/2018

Chandra Shekhar GUPTA

Applicant

State of U.P

V/S

Respondent

The Hon'ble chairperson His lordship companion
Hon'ble judges and Hon'ble expert members

प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता और परिवार का परिचय :-

प्रार्थी द्वारा सन 1985 में M/s मिथलेश हेण्डलुम फेक्ट्री के नाम से वेड शीट पीलो कवर सप्लाय का काम शुरु किया था। प्रार्थी द्वारा सन 1994 में साईपुरम में वेड शीट पीलो कवर की प्रिंटिंग युनिट लगायी थी।

प्रार्थी का बड़ा बेटा आकाश गुप्ता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट है। C.A आकाश गुप्ता की C.A. FIRM का नाम आकाश

चन्द्रा & एसोसिएट है। इसका आफिस 103, गली नं०-3 साईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ में है।

प्रार्थी का छोटा बेटे का नाम वादल गुप्ता है।

वादल गुप्ता ने M/s Hitanbara Steel के नाम से Iron Bright Bar का काम किया हुआ है।

पह FIRM भी 103, गली नं०-3, साईपुरम, दिल्ली रोड मेरठ में है।

Interlocutory Application किरन भाटिया धर्मपति चरणजीत सिंह भाटिया उर्फ ^{सुनी} द्वारा की गयी है।

किरन भाटिया w/o चरणजीत सिंह भाटिया ने साईपुरम पब्लिक पार्क पर कब्जा किया हुआ है। शकेश मक्कड धरमवीर दुग्गल, रघुवीर सिंह उर्फ मुनीम, मैटर सिंह आदि ने भी साईपुरम पब्लिक पार्क पर कब्जा किया है अक्षय सद्यल उर्फ सोनु, रेनु गुप्ता पतिशिव कुमार गुप्ता शहुल छावडा - वरुण छावडा, वीवी आदि ने जगन्नाथपुरी पब्लिक पार्क, मंगंतपुरम पब्लिक पार्क पर कब्जा किया हुआ है।

उपरोक्त सभी व्यक्ति मोस्ट वाण्टेड अपराधी व 5 लाख का इनामी वदमाश वदनसिंह वदयो के विशेष गुरे हैं। और इनमे से कई व्यक्ति इनामी वदमाश को पुलिस अधिकारता से फरार कराने में नामजद है। अक्षय जैन, राजीव जैन, सजय गुप्ता आदि इनके साथी हैं।

पिछले कई वर्षों से श्रीमेन्द्र तौमर - ऊर्जा राज्य मंत्री, उ० प्र० सरकार इन सभी अपराधीयों का संरक्षण बना हुआ है। श्रीमेन्द्र तौमर ने जगन्नाथपुरी पब्लिक पार्क के लगभग 2000 वर्ग मीटर हिस्से पर कब्जा किया हुआ है।

श्री चन्द्र शेखर गुप्ता पर दवाव बनाने के लिए इन सभी अपराधीयों ने मेरठ के अलग अलग थानों में कई मुकदमे किये हैं। इन अपराधीयों का मकसद प्रार्थी को मुठे मुकदमों में फंसाकर तीनों पब्लिक पार्क के केस से दूराना है यह सभी अपराधी शातिर और वेशेवर हैं। प्रार्थी द्वारा समीक्षा याचिका संख्या 308/08/2025 वापर नदी कीजवा है। सफेद झुठ लिखा गया है।

इन अपराधीयों का साथी अधिवक्ता रोहताश अग्रवाल हैं और मेरठ वार का अध्यक्ष हैं। अधिवक्ता रोहताश अग्रवाल 30 प्र० वार काउन्सिल का भूतपूर्व चैंपरमेन बताता है जबकि सचवाई पट्ट हैं अधिवक्ता रोहताश अग्रवाल 30 प्र० वार काउन्सिल में चैंपरमेन पद का चुनाव लड़े थे। ~~युवा~~ चुनाव के बाद वोटों की गिनती में गड़बड़ करार कर चैंपरमेन बन गये थे। लेकिन विपक्षी द्वारा दोबारा वोटों की गिनती होने पर दृष्टा दिया था। इनका एक साथी संजय गुप्ता रोहताश अग्रवाल का रिश्तेदार है। उपरोक्त सभी अपराधीयों द्वारा प्रार्थी पर किये गये मुकदमों का विवरण निम्न लिखित है। मुकदमों गूठे हैं इसके सभी साक्ष्य प्रार्थी के पास मौजूद हैं।

1. दिनांक 12-4-2013 को उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने प्रार्थी पर गाय व बछड़ों की बलि देने का आरोप लगाया था। दिनांक 13-4-2013 को माफीनामा लिखकर दिया था। Annexure
2. दिनांक 27-10-2014 को अक्षय जैन S/o राजीव जैन ने प्रार्थी पर मुकदमा अपराध संख्या 535/14 अन्तर्गत धारा 384 IPC थाना वृद्धमपुरी में दर्ज कराया था। प्रार्थी पर मुकदमा दर्ज कराने उपरोक्त सभी व्यक्ति थाने में गये थे। दिनांक 7-1-2015 को जॉय अधिकारी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी कि रंगदारी नहीं माँगी गयी।
F.R No. 8/15 Annexure No.
3. दिनांक 18-9-2017 को प्रार्थी पर एक ओर रंगदारी की F.I.R No. 0537/2017 अन्तर्गत धारा 384, 504, 506 IPC थाना वृद्धमपुरी में दर्ज कराया गया।
मुकदमा दर्ज कराने वाले अजय सहगल उर्फ सोनू, चरणजीत भारीया उर्फ हैप्पी, अक्षय जैन, शकेश मन्कड शिव कुमार गुप्ता संजय गुप्ता आदि हैं।

दिनांक 20-7-2020 को चरणजीत सिंह भाटिया और अजय सहगल
उर्फ सोनु नं मौवाइल संख्या 9358407422 से प्रार्थी
के मौवाइल पर फोन करने कहा कि रजदारी सहित
सभी मुकदमों में मोर्ट में समझौतानामा लिखकर दे देंगे।

Annexure

4. दिनांक 20-4-2019 राजीव जैन S/O माँगेराम जैन
अपने 11 आदमियों के साथ प्रार्थी की फेक्ट्री के अन्दर आ गया था
पह सारी धटना फेक्ट्री के अन्दर बाहर लगे C.C. TV कैमरे
में रिकार्ड हो गयी। फेक्ट्री के अन्दर आकर राजीव जैन नं
प्रार्थी की पत्नि शिम से अश्लीलता, अश्लील वाते और
बेटे आकाश गुप्ता से मारपीट व जान से मारने की धमकी दी
तब दिनांक 21-4-2019 को प्रार्थी की तरफ से राजीव जैन आदि

पर F.i.R No. 250/2019 धाना वृद्धमपुरी में दर्ज की गयी।
प्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को C.C. TV कैमरे की रिकार्डिंग की
C.D बनवाकर दी। परन्तु जांच अधिकारी ने C.D, चार्जशीट
के साथ कोर्ट में नहीं दी। अन्तर्गत धारा 147, 148, 452, 323, 506 IPC
Annexure

5. दिनांक 7-9-2019 की रात को प्रार्थी को राजीव जैन द्वारा
कार से कुचलने की कोशिश की गयी। प्रार्थी द्वारा धाना वृद्धमपुरी
पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस द्वारा प्रार्थी के अन्दर
वाहर लगे C.C. TV कैमरे की फुटेज देखकर S.S.P, मेरठ को
लिखकर भेजा गया कि दोनों में कहा सुनी होते पायी गयी।

दिनांक 18-9-2019 को चक्रपाणि त्रिपाठी C.O. वृद्धमपुरी द्वारा
राजीव जैन से रुपये लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के बेटे के रिवलाफ
F.i.R No. 585/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 336, 504, 506, 427
धाना वृद्धमपुरी में दर्ज की गयी।

प्रार्थी द्वारा S.S.P, मेरठ को एक शिकायती पत्र दिया गया कि
चक्रपाणि त्रिपाठी C.O. वृद्धमपुरी ने राजीव जैन से रुपये लेकर
झुठी F.i.R दर्ज करायी है तब C.O. वृद्धमपुरी नं S.S.P, मेरठ
को लिखकर दिया कि आरोप पत्र संख्या 530/19 दिनांक
18-12-2019 न्यायालय में अंज दिया है तीन अज्ञात की जानकारी
नहीं हो सकी है। Annexure

6. राजीव जैन के पेट्रॉ काम करने वाले व्यक्ति सोनु S/o देवराज द्वारा प्राची व प्राची के बेटे नं दिनांक 13-7-2020 को मारपीट आदि की ओर सोनु S/o देवराज की तरफ से एक मुठ मुकदमा दिनांक 30-7-2020 को थाना वृद्धमपुरी में दर्ज कराया गया। F.i.R No. 448

सोनु S/o देवराज दिनांक 20-4-2019 को राजीव जैन के साथ प्राची की फेक्ट्री के अन्दर आकर प्राची की पत्नी रश्मि से अश्लीलता व अश्लील बातें करने व प्राची के बेटे आकाश गुप्ता को मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने में शामिल था। दिनांक 13-10-2025 को प्राची द्वारा जिला मजिस्ट्रेट - मेरठ को प्रार्थना पत्र दिया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में पांच डॉक्टरों की टीम बनाकर सोनु S/o देवराज की दोबारा मेडिकल जांच करायी जाये।

Annexure C

7. दिनांक 12-2-2021 को प्राची के खिलाफ ज.ए शैलेश पादव द्वारा F.i.R No. 0022 थाना कोतवाली अन्तर्गत धारा-353, 504, 506 दर्ज कराया गया है।

21 जनवरी 2021 को प्राची के मोबाइल संख्या 9411641984 पर ज.ए शैलेश पादव का फोन आया कि आपका बिजली बिल बनाया है।

22 जनवरी 2021 को बनाया धनराशि 7621/= रुपये जमा हो जाये। जिसकी रसीद संख्या 180594008873 है। साजिश पडपत्र के तहत प्राची को मुठ मुकदमे में फंसाने के लिए बिजली कनेक्शन को सन 2016 से P.D दिखा दिया गया और ज.ए शैलेश पादव द्वारा प्राची के खिलाफ एक ओर मुठ मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

Annexure C

8. प्राची के खिलाफ रंगदारी का मुठ मुकदमा F.i.R No. 0537/2017 लिखते में अजय सहगल उर्फ सोनु सहगल पर मोस्ट वाण्डेड अपराधी व आजीवन कारावास में दोषसिद्ध वदनसिंह वदो को पुलिस अभिरक्षा से फरार कराने में F.i.R No. 0197/2019 अन्तर्गत धारा 221, 224, 120-B, 222, 204, 223, 225, 420, 467, 468 471, 472 iPL थाना वृद्धमपुरी में दर्ज है। न्यायालय स्पेशल CJM में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

Annexure C

- दिनांक 20-7-2020 को ^{साक्ष्य} चरणजीत भाटिया व अजय सहगल द्वारा प्रार्थी को किये फोन की कॉल रिकार्डिंग भेज रहा हूँ।
- दिनांक 20-4-2019 को राजीव जैन जघरह आदमीयो के साथ प्रार्थी की फेक्ट्री के अन्दर आकर पब्लि रश्मि व बेटे आकाश मुष्ठा किये गये अपराध की C.C.TV फुटेज भेज रहा हूँ।
- चरणजीत सिंह भाटिया, राकेश भक्कड, अजय सहगल, लालु भक्कड आदि का मोस्ट वाण्टेड अपराधी वदनसिंह वददो के साथ नाचते गाते का आडियो वीडियो भेज रहा हूँ।
- अजय सहगल उर्फ सोनु सहगल को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेशी पर ले जाते हुए का आडियो वीडियो भेज रहा हूँ।
- चरणजीत भाटिया का मोस्ट वाण्टेड अपराधी वदनसिंह वददो के साथ सेल्फी लेते हुए फोटो भेज रहा हूँ।

निबन्ध

1. ट्रिब्यूनल का साईपुरम पब्लिक पार्क केस से ध्यान दियने के लिए किरन भाटिया w/o चरणजीत भाटिया द्वारा 9A दापर की गयी है।
2. साईपुरम पब्लिक पार्क पर कब्जा किये भु-भाकिषा जानबुझकर साजिश के तहत टाइम पास कर रहे हैं।
3. प्रार्थी पर कुछ मुकदमे करके, वदनाम करके अधिवक्ता के माध्यम से पब्लिक पार्क केस में समझौते का दवाव बनाया जा रहा है।
4. अधिवक्ता शैलताश अग्रवाल का इस्तेमाल उपरोक्त सभी व्यक्ति न्यायालयों में सिफारिश के लिए करते हैं।
5. शौभेन्द्र तौमर - ऊर्जा राज्य मंत्री - 30 प्र० सरकार गैरमानुनी धन्दों में उपरोक्त सभी भु-भाकिषाओं का पार्टनर हैं। जमीनों पर कब्जे की वृत्ति अरववारी में छपती रहती है।

6. उत्तर प्रदेश शासन - आवास एवं शहरी नियोजन
अनुभाग B, संख्या - पुन 349/आठ-8-2025-13पुन/2023
लखनऊ दिनांक 23-4-2025 को दिया गया ~~आदेश~~
आदेश आधे अद्युत साक्ष्य पर आधारित है
जिनमें कई निर्णायक साक्ष्य जैसे मानचित्र संख्या-61
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में ली जाया गया है
जिस प्रकार दीपक मीणा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रिब्यूनल को
भेजी गयी रिपोर्ट में लिखा गया कि मानचित्र संख्या
चार Digit में है।

प्रार्थना

1. यह है साईपुरम पब्लिक पार्क से कब्जा हटवाया जाये।
2. दीपक मीणा - जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ व मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर पार्क पर कब्जा सिधे भु- माफियाओं से साठगाँठ एवं ट्रिब्यूनल में सुनी रिपोर्ट देने के लुर्म में सख्त कार्रवाई करे।

दिनांक 13-12-2025

प्रार्थी in person

चन्द्र शैखर गुप्ता

R/o 103, गली नं 0-3

साईपुरम, दिल्ली रोड

मेरठ- 20 प्रो- 250003

M.No- 7906792648

Mail Id- guptra9566@g. mail. co

Ces
Gup

राज्यमंत्री पर आरोप, एक ही दिन में ले ली अनुमति और बैनामे भी करा लिए

जागरण संगठनदाता, मेरठ : प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर आरोपों के घेरे में हैं। अधिवक्ता और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट संदीप पहल ने आनन फानन में दलितों के पट्टों की भूमि की खरीद करने, एक दिन में ही अनुमति लेने और उसी समय बैनामे कराने का आरोप मढ़ा है। वहीं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पांच साल में राज्यमंत्री और उनकी पत्नी की संपत्ति तीन गुना होने पर सवाल उठाते हुए लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

संदीप पहल ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा वर्ष 2013 और 2024 में अपने शांति निकेतन ट्रस्ट के नाम 11 बैनामों के माध्यम से दलितों के पट्टों की भूमि खरीदी गई। आरोप है कि राज्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित पट्टों की भूमि को खरीदने के लिए चिकित्सकों, बिक्री

अधिवक्ता संदीप पहल व अमिताभ ठाकुर ने सोमेंद्र तोमर पर मढ़ा भ्रष्टाचार का आरोप

की अनुमति देने वाले प्रशासनिक अधिकारी को प्रभाव में लेकर काम कराया। उन्होंने सबसे पहले पट्टे की 7 जमीनों से जुड़े 33 लोगों को लाकर एक ही दिन में सभी से एग्रीमेंट कराया। एक दिन में सभी पट्टाधारकों का मेडिकल कराया। उसके अगले ही दिन 13 सितंबर 2024 को जिला प्रशासन से पट्टे की जमीन की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर उसी दिन पट्टे की 10 जमीनों के बैनामे भी करा लिए। इन बैनामों के माध्यम से उन्होंने 38,680 वर्ग गज जमीन की खरीद की। जिसकी कीमत के रूप में 6.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 30 लाख रुपये स्टॉप शुल्क भी दिया गया। एमडीए की कालोनी का शिलान्यास होते ही इस भूमि का दाम पांच गुना हो गया है। सवाल उठाया कि जमीन खरीद के लिए यह करोड़ों रुपये उनके पास आये कहां से?

अनुसूचित जाति के पट्टों की जमीन की बिक्री की अनुमति हमारे कार्यकाल से पूर्व की है।

डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी

आरोप बेबुनियाद है। हमारा ट्रस्ट सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से भूमि की खरीद करता है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही न्यू टाउनशिप में ट्रस्ट की कोई भी भूमि नहीं बेची गई है। ट्रस्ट की भूमि टाउनशिप के निर्धारित चिह्नित क्षेत्रफल से बहुत दूर है। इसका टाउनशिप से कोई संबंध नहीं है।

सोहनवीर वशिष्ठ, शांति निकेतन ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी

मेरी छवि खराब करने के लिए मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा जीवन सार्वजनिक है और संपत्ति की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक है। किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार हूं।

डा. सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्य मंत्री



साईपुरम इन्डस्ट्रियल एशोसियेशन

साईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ

मुख्य संरक्षक
श्री भूषण जैन
मो० 9837470991

संरक्षक
श्री अजय कपूर ✓
मो० 9358635720

श्री राजीव जैन ✓
मो० 9412209760

अध्यक्ष
अजय सहगल (सोनू) ✓
मो० 9758333359

महासचिव
राकेश मक्कड़ (मलिक) ✓
मो० 9634384656

कोषाध्यक्ष
अनिल शर्मा
9837070273

उपाध्यक्ष
सजय गुप्ता ✓
मो० 9837444123

संगठन सचिव
वरनजीत सिंह भाटिया (हेप्पी) ✓
मो० 8457960

संयोजक
मुकेश कुमार जैन
मो० 9412710534

शिव कुमार गुप्ता ✓
मो० 9412203231

शरदकान्त मांगलिक
मो० 9358848588

गौरव राजपूत ✓
मो० 9897086007

पद्मिनी पित्तल
मो० 9412201579

पंकज गोयल ✓
मो० 9412708157

राजेश मित्तल
मो० 9837576705

कोमल गोयल
मो० 9319303686

गौरव माहेश्वरी ✓
मो० 9997690772

सोनू खुराना
मो० 9897751990

रोहन गुप्ता
मो० 9557366058

पत्रांक :

दिनांक : 13/4/2013

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक महोदय

विषय : गाय की बलि दिये जाने संबंधी सूचना का खंडन।

महोदय,

कल दिनांक 12 अप्रैल 2013 को आपको सूचित किया गया था कि चन्द्रशेखर नामक व्यक्ति एक बन्द पड़ी फैक्ट्री में तन्त्र विद्या कर रहा था। शक होने पर देखा तो उपरोक्त व्यक्ति तन्त्र विद्या में लीन था तथा उसने बलि देने हेतु एक गाय व एक बछड़ा वहाँ बाँध रखा था। जानकारी होने पर आसपास के फैक्ट्री यांत्रिक आदि मौके पर पहुँचे तो देखा कि वह बलि देने जा रहा है। तुरन्त ही उसको गोग्रहस्थों द्वारा रोका गया। फोन पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई जिससे पुलिस मौके पर पहुँच गई थी।

महोदय, खेद सहित सूचित करना है कि उपरोक्त व्यक्ति पूजा इत्यादि तो कर रहा था परन्तु गाय की बलि देने की कोशिश करने संबंधी गलतफहमी प्रथमदृष्टया देखी गई स्थिति पर आधारित थी। पदाधिकारियों एवं पुलिस द्वारा छानबीन करने पर बलि देने संबंधी कोई सामग्री/हथियार आदि वहाँ नहीं पाये गये, मात्र गाय व बछड़े की पूजा करने व वहाँ के वातावरण को देखकर यह गलतफहमी हुई थी।

महोदय, आपसे निवेदन करते कि कल दी गई खबर का खंडन अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छापने का कष्ट करें तथा गलतफहमीवश दी गई पूर्व सूचना के संबंध में हम क्षमाप्रार्थी हैं।

उपाध्यक्ष


सादर

Sanjay

संयोजक

(राकेश मक्कड़)

महामंत्री



ACF OF RS. 20
24 JUN 2025

नं. १०८
 दिनांक २१/६/२५
 २१/६/२५
 २४ JUN 2025
 २४ JUN 2025



OM

23 JUN 2025

क्र. सं. 835/14 क्रम 304 1/2

मूल द्वितीय तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय घापी/कार्यालय के लिए

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

बुक सं.

पृष्ठ संख्या

0455462

दण्ड तिथि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना बधमपुर

सब-डिस्ट्रिक्ट सदर

जिला मेरठ

संख्या 382/14

अपर मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट

न्यायालय संख्या 5, मेरठ

घटना का दिनांक का समय 27-10-14

30/10/14

व समय, जबकि रिपोर्ट की गई: प्रदनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

27-10-14
15:30
फैक्ट शोरिंग साइपुलम व
फापुरा गावना 3K.m पश्चिम
पश्चिम 00 माधवपुरा
जयपुरी

घमंडक

प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे को चिह्न लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले (अपराधी) का नाम व निवास-स्थान	अपराध का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) को	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना दर्ज करने में देरी का कारण	मुकदमे का परिणाम
<u>श्री मधुप लाल & श्री राजीव लाल निवा गावा सं. 3 साइपुलम माधवपुरा</u>	<u>वाइरलाक व च-प्रमोवा गुलाब & अनाथ विद्यालय</u>	<u>वाइरलाक च-प्रमोवा गुलाब गावा की कुशाप खेत में 50,000 रुपय के चरौद के खिपे मांस व नु डे के टाप टापार्वी मिआयर काठ सामग्री का आठ गेरचा पाच लाख माग राबकरी पना राबकरी देना गुग संख्या 304/14</u>	<u>आमाग ला जी भी देगी किन जाकि चाप व लखार के आवाक परफेक्ट राबकरी मायम लखे जिप गावा राबकरी & बी राबकरी मायम</u>	<u>राबकरी देना</u>

सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी।

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगायें।
पू.पं. (आर.आर.) 016 पुलिस-18-1-12-पुलिस प्रपत्र सं. 341-5,000 पुस्तकें (कॉपी) (अ.सं. 1/30/सं. 1)।

हस्ताक्षर
पद
राजेश



प्रमाण पत्र

आम्र उच्चमहा/केक गद्यपप निवेदन दे।
 27/10/14 को प्रकी कथाप लोड रिपट 1 वरी
 रूपता सविपल केरके से बाध आच ली-केया विगेर
 पर एक हीय आाह केसा डुका री मीरु वय डुमरु
 आाह कोय काउ देका ली डुमर शरापरी मीरु गद को
 उमर पत्र की कीरी करेड सखान काउ रय री आमतली
 मुठ अक री ली मेरे कामन निपापी चपुशेका गुवा डुम
 डुमर पत्र अया गभा री। मीरु कय लकाउर डम पडर
 श्री डुमर 50.000/रुड मीरु अयापन के रिपे मीरु ली
 मेरे डम न रिपे काउ पर मेरे लयापार की निपापण
 सम्पाडेप विभागा मे कोउ की गदपी री मी। डिपका
 निपापण काएक काउ मे 9-6-14 के मेरे डम की गरी
 की। मेरे डुमर पत्र पर काउ एक कोउ आरवापी नपी
 की गद डम मीरु ली के निवेदन री। री मीरु लका
 पर डुमर लकाउर के विवाक रिपोर वले काउ आगुनी
 आरवापी की। डुमर डुमर डुमरी 22-10-14 प्रकी कथाप लोड
 श.मा. गरीप लोड गका का उ सविपल मीरु

मोड में ₹ 1450 अफिस गद्यप प्रमाण पत्र दे।
 लकाउर के गद्यप रिपे काउ पर अक व अक व अक व
 की गरी री मीरु लकाउर RIR मकाउ की गरी।

२ अफिस गद्यप
 27-10-14



सत्य प्रतिलिपि
 मुख्य प्रतिलिपिक
 जजी मेरठ

CCP...
 300
 COURT, MEERUT

24 JUN 2025

पुलिस प्रपत्र संख्या 340

कॉ. 535/14 अंतिम रिपोर्ट 384 IPC वाना बलपुरी, मेरठ
अंतिम रिपोर्ट 2/2/15 - 10/4/15
तारीख 27-10-14

1132817

जिला
थाना

प्रथम सूचना संख्या 382/14
अंतिम रिपोर्ट संख्या 8/15
तारीख 7/1/15

(वादी की सूचना के लिए)

- 1- वादी या सूचना देने वाले का नाम और पता
- 2- दोष या अभियोग का स्वरूप
- 3- घुसाई गई सम्पत्ति का विवरण (यदि कोई हो)
- 4- अभियुक्त व्यक्तियों के नाम और पते (यदि कोई हो)
- 5- यदि गिरफ्तारी की गई हो, तो गिरफ्तारी का दिनांक तथा समय
- 6- मुक्त होने जाने का दिनांक तथा समय, या जमानत पर था या मुचलके पर छोड़ा गया?
- 7- सम्पत्ति (हथियारों सहित), जो पाई गयी हो। किसने कहाँ पाई तथा मैजिस्ट्रेट के पास भेजी गई या नहीं? विवरण सहित
- 8- संक्षेप में प्रथम सूचना या अभियोग, पुलिस कार्यवाही का परिणाम सहित विवरण, जांच बन्द करने का कारण
- 9- अन्य विवरण

श्री. राजेश जैन डा.जी. राजीव ने R/o 384
कोड, साईपुरा, वाना बलपुरी, मेरठ,
384 IPC मुकीश चंद्र दास -
NIL अपर मुख्य न्यायािक मैजिस्ट्रेट
न्यायालय, मेरठ 5, मेरठ
10/7/15
पंचशेखर गुप्ता 3/0 डी. प्रिंसिपल
गुप्ता R/o 114 वरिष्ठ पुलिस 05 को तबकी कोड
NIL OR 1076/18
11
श्री. राजेश जैन
लिखते हैं कि मुकदमा उपरोक्त
नाडी डी. मरुत जैन की तरफ से माध्याह्न
माना जाया पर फ्रीक्यू हुआ तथा लिखित
रुप 551 के लुप्टु के जारी। मरुत की
लिखित, जमानत जारी लिखित एजाएलममम
एजाएलममम, मरुत मरुतवा व मरुत -
पाल की इफ्तदा ल को जारी जावकारी रत
बाडी रत रतांदरी मांगने की कोड वरुतकाश
मरुत जारी है तथा बाडी व वरुतवा को
मरुत के अता, लिखित चक्र रत है बाडी के
रुत के को वरुतवा - पंडरोव पल आरोप
जमानत पर तथा माफीनाम लिखित में डिमांड
तथा रुत में लिखित को लेवल दोनों पत्तों की
107/116 एएल की कार्यवाही जारी हुई थी।
उपरोक्त सभी तथ्यों को इतिवृत्त रत रत रत व
उपरोक्त प्रमाणों को आधार बना माना हुआ
अनुक्त की लिखित-या डी माध्याह्न पर मुकदमा
उपरोक्त की लिखित-या डी माध्याह्न पर रिपोर्ट
एजाएलममम को जारी है एकीकृत वन को
रुत करे।

को यह रिपोर्ट भेजी गयी।

दिन
समय रात दिनांक

न्यायालय की जांच

हरनाथर मैजिस्ट्रेट

COPY XEROXED & COMPARE
WORDS COUNT 200
CIVIL COURT, MEERUT



सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिनिधिपत्र

24 JUN 2025

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): मेरठ

P.S. (थाना): बृहमपुरी

Year (वर्ष): 2017

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0537

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 18/09/2017 15:35

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	384
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	506

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):

Date From
(दिनांक से):

Date To
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From
(समय से):

Time To
(समय तक):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 18/09/2017 Time (समय): 15:35 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 030 Date & Time 18/09/2017 15:35 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S.

Beat No.

1. (a) (थाना से दूरी और दिशा):

(बीट सं.):

(b) Address अदम तहरीर
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.

District(State)

(थाना का नाम):

(ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): अजय सहगल
 (b) Father's Name (पिता का नाम): नन्द किशोर सहगल
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):
 (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गली नं0 1 साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गली नं0 1 साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	चन्द्रशेखर गुप्ता		पिता का नाम : किशन गुप्ता	

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी:- दिनांक 13-09-17 सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना ब्रह्मपुरी मेरठ विषय:- चन्द्रशेखर गुप्ता द्वारा विभिन्न उधमियों से पैसा वसूले के प्रयास के संबंध में महोदय, निवेदन है कि चन्द्रशेखर गुप्ता सुपुत्र किशन गुप्ता निवासी साईपुरम गली नं0 3 थाना ब्रह्मपुरी मेरठ आये दिन निम्न उधमियों से रंगदारी मांगता है और पैसा न देने पर गाली गलौच और विभिन्न विभागों में झूठी शिकायत करने की धमकी देता है इस व्यक्ति से सभी उधमी खोपजना है अतः आप से आग्रह है कि इस व्यक्ति के खिलाफ हमारी रिपोर्ट दर्ज करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें समस्त उधमीगण (1) अजय सहगल s/o नन्द किशोर सहगल m- 9758333359 शक्ति एन्टर प्राइजेज गली नं0 1 साईपुरम (2) चरणजीत सिंह भाटिया ऐक्सिनो स्पोर्टस 9756431000 (3) राकेश मक्कड गुरूजी एन्ड 9634384656 (4) अक्षय जैन अरिहन्त एंटर प्राइजेज 9358330502 (5) Gaurav Rajput Amazon.v 9897083007, (6) Shiv Kumar Gupta- SK complex- 9412203231, (7) Gaurav Maheshvari- 9997690772 Disha, (8) Sanjay Gupta Lonc sports house 9837464123 (9) Ajay kapoor 9358635720, (10) Rajesh Goel 9837376705

नोट:- मैं0 एचएम 196 किशनपाल सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर का0 224 नितिन कुमार द्वारा टाईप करायी गयी है तथा कायमी भी मेरे द्वारा की गयी है

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया);

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.)
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank
(पद):

No.
(सं.):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

P-24

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant. (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SATISH KUMAR RAI

Rank I (Inspector)

No. 982650200

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : cjm meerut (के न्यायालय में)

1. District (जिला): मेरठ
P.S. (थाना): बृहमपुरी
FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0537

Year (वर्ष): 2017

Date (दिनांक): 18/09/2017

2. Final Report / Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date (दिनांक): 30/11/2017

4. S.No.	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	384
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	506

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet मूल
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

P-26

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

SURAJ TYAGI

No. (सं.): 782140837

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
अजय सहगल

(b) (ख) Father's Name (पिता का नाम): नन्द किशोर सहगल

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No. (क्र. सं.): 1

(i) Name चन्द्रशेखर गुप्ता

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name (पिता का नाम): किशन गुप्ता

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2011

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	साईपुरम गली नं0 3 , बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	साईपुरम गली नं0 3 , बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 23/11/2017

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	384
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	506

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)
(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो० नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupat ion (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	श्री अजय सहगल /	पिता: नन्द किशोर सहगल			वर्तमान पता: साईपुरम गली नं० 1, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम गली नं० 1, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
2	चरण जीत सिंह भाटिया /	पिता: अमर जीत सिंह			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
3	राकेश मक्कड उर्फ गुरूजी /	पिता: मोहन मक्कड			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
4	अक्षय जैन /	पिता: राजीव जैन			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
5	गौरव राजपूत /	पिता: एस के वर्मा			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
6	शिवकुमार गुप्ता /	पिता: स्व० गंगाशरण गुप्ता			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
7	गौरव माहेश्वरी /	पिता: राजेन्द्र मण्डौरा			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
8	संजय गुप्ता /	पिता: ब्रह्मस्वरूप गुप्ता			वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

9	अजय कपूर /	पिता: रामपाल कपूर		वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
10	राजेश गोयल /	पिता: भगवत प्रसाद		वर्तमान पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
11	एचएम 196 किशनपाल प्रसूरी लेखक /			वर्तमान पता: थाना ब्रहमपुरी,, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना ब्रहमपुरी,, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
12	HCP सुरज त्यागी विवेचक /			वर्तमान पता: थाना ब्रहमपुरी,, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना ब्रहमपुरी,, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	प्राथमिकी साक्ष्य

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त वादी की लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत होकर विवेचना हस्त आदेश श्रीमान एसएचओ महोदय के मुझ एचसीपी के सुपुर्द की गई अब तक की तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही व बयानवादी बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल व बयान स्वतन्त्र गवाह व धारा 41 ए सीआरपीसी नोटिस बयान अभि० आदि के अभि० चन्द्रशेखर गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 384/504/506 भादवि का जुर्म बखूबी साबित है अभि० के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है अतः अभि० चन्द्रशेखर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र मा० न्या० प्रेषित किया जाता है अतः अनुरोध है कि सबूत तलब कर उचित दण से दण्डित करने की कृपा करे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

17. Refer Notice served नहीं
(जारी किए नोटिस): Date(दिनांक):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):
18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 30/11/2017
19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):
20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं/चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हो):
- 21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :
- 21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :
22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :
- 22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :
- 22ख. Mafarur accused name, address and age / मफरुर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :
23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :
24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :
25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :
- 25क. Date (दिनांक) :
- 25ख. Place (स्थान) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

25ग. Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अर्पित)

Name (नाम): null

Rank (पद): null

No.(सं.): null

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SURAJ TYAGI

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(सं.): 782140837

श्री मान करिष्ण पुलिस अधीक्षण महोदय
मेरठ

श्री मान जी आज दि० 20-7-2020 को समग्र दिन में 2:38 बिन
पर M.No- 9300000000- 9358 407422 से
फोन आया। फोन पर चरनजीत सिंह भाटिया व सोनु सहगल के
सबुल (क्रि) कि जो हमारे द्वारा रंगदारी के मुकदमे किए जा रहे
वह फर्जी हैं और हम सभी व्यक्ति समझौता पत्र कोर्ट में लिख
कर दे देंगे इन सभी व्यक्तियों के नाम चरनजीत सिंह भाटिया
सोनु सहगल, लल्लु मक्कड, शमेश मक्कड, राज सहगल
राजीव जॉन, अक्षय जॉन डफ पिन्ना, रघुवीर सिंह इत्यादि हैं
ये सभी व्यक्ति 2 1/2 लाख के इनामी बदमाश बदनीसिंह वही
के साथ हैं थाना वृद्धमपुरी पुलिस पुरी तरह से इन अपराधियों
से मिले हुए हैं मैंने आपको पहले भी शपथ पत्र व सबुतो के
साथ इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ F.I.R दर्ज कराने व इन
सभी व्यक्तियों के खिलाफ शस्त्र कापवाही कराने का अनुरोध किया था
आपके द्वारा की गयी कापवाही की जानकारी मैंने R.T.I के माध्यम से मांगी थी
R.T.I के जवाब में मुझे यह आदेश पत्र संख्या 252/2019 दि० 17 अक्टूबर
2019 लिखा था आदेश में आपने लिखा है कि अंशित तथ्यों/ आधारों का
गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय लिया है कि तत्काल F.I.R दर्ज करें/
लेकिन मेरी F.I.R दर्ज नहीं की गयी है
दि०- 31-5-2020 को की गयी तहरीर की भी F.I.R दर्ज नहीं की गयी है।
पुरी धटना का Video दिखाया गया था। धारनेदार को कई बार फोन भी किया था।
दि- 13-7-2020 को की गयी तहरीर की भी F.I.R दर्ज नहीं की गयी। धटना का विडियो
P.C.R Van में आपसे पुलिस को दिखाया गया था। धारनेदार को भी कई बार फोन किया।
आपसे शार्पन है कि इन अपराधियों व दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कापवाही
दि०- 20-7-2020

C.T.O. भा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
E. Mail & Registered
(CS)

चन्द्र शंखर गुप्ता
103, गली नं० 3
साई पुरम दिल्ली रोड
मेरठ (30 प्र०) थाना वृद्धमपुरी
M-7906792648

3454402510
D.G.P- Control Room

N.C.R.B (एन सी आर बी)
I.L.P.-1 (एकीकृत बच कार्य -1)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): मेरठ

FIR No. (ब.सू.रि.) 0250

P.S. (थाना): बृहमपुरी

Year (वर्ष): 2019

Date & Time of FIR (ब.सू.रि. की दिनांक/समय): 21/04/2019 14:45 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अभिनियम)

1	भा द सं 1860
2	भा द सं 1860
3	भा द सं 1860
4	भा द सं 1860
5	भा द सं 1860

Sections (धाराएं)

147

148

462

323

506

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Time Period (समय अवधि):

Date From (दिनांक से)

Time From (समय से):

Date To (दिनांक तक):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 21/04/2019

Time (समय): 14:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026

Date & Time (दिनांक और समय): 21/04/2019 14:45 बजे

4. Type of information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 3.5 किमी

(b) Address (पता): साईपुरम

Beat No. (बीट सं.):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

District(State) (जिला (राज्य)):

E. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): चन्द्रशेखर गुप्ता

(b) Father's Name (पिता का नाम):

किशन गुप्ता

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (एआईडी सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

1

वर्तमान पता

013 गली नु 3 साईपुरम दिल्लीरोड बृहमपुरी मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता

013 गली न० 3 साईपुरम दिल्लीरोड, बृहन्पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(जात / शंका / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) पिता का नाम : चारीलाल जैन	Present Address (वर्तमान पता)
1	राजीव जैन			1. अज्ञात, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	सोनु			1. अज्ञात, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
3	विनय			1. अज्ञात, बृहन्पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
4	अकबर			1. अज्ञात, बृहन्पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
5	धमेन्द्र			1. अज्ञात, बृहन्पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
6	मिन्दु			1. अज्ञात, बृहन्पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
7	नदीम			1. अज्ञात, बृहन्पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी बाटी श्रीमान थानेदार महोदय श्री रघुनाथ सिंह जी धाना बृहन्पुरी मेरठ श्रीमान जी से किलो कार्यवाही बाहर गया था मेरी पत्नि व मेरा लड़का यहां पर थे करीब दिन में 11 बजे राजीव जैन S/O मागे लाल जैन अपने अहमद सोनु, विनय, अकबर, धमेन्द्र, मिन्दु, नदीम इत्यादि लेकर मेरी फेक्ट्री के अन्दर आकर मेरी पत्नि व मेरे बेटे के साथ मारपीट की व आज से मारने की धमकी देने लगा मैंने पहले भी कई बार इनकी शिकायत की है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई पुलिस में नहीं की है आज का वीडियो भी आपके नम्बर पर भेज दिया है ये सभी लोग बदन सिंह वही के साथी है बदन सिंह के जेल जाने से पहले रात में बदनसिंह के साथ बड़े होकर गोलियाँ चनाते थे इनमे से कई व्यक्ति चरनजीत सिंह भाटिया, राकेश मकुड राजु सहगल को भी एकदम पुछलाठ की जाये जेल जाने से पहले बदनसिंह, चरनजीत सिंह भाटिया व राजु सहगल की फेक्ट्री में जाता था और ये व्यक्ति बदनसिंह बदनो को साईपुरम में घुमाते थे और सभी फेक्ट्री वालों को धमकाते थे और साईपुरम फेक्ट्री बाबा से बदनसिंह बदनो को नाम लेकर हथका यमुली पारते थे मुक्त N.I.R दर्ज कर कार्रवाई की। दिनांक 20-4-2019 so C.S Gupta चन्द, शेखर गुप्ता 103, गली न० 3 साईपुरम, दिल्ली रोड मेरठ (JODHO) M 7906792648

नोट- मैं सीसी 2305 नफीस अहमद प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल भी द्वारा बीज बोलकर अम्बयूर पर क०आ० अजय कुमार के द्वारा शब्द व शब्द टाईप कराई गई तथा कायमी मरे द्वारा की गई।

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)
I.I.P.-1 (एकीकृत अचि कार्रवाई)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) w/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका गट. सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation;

(2) Directed (Name of I.O.) (वाच अधिकारी का नाम): ANKIT CHAUHAN Rank (रक): SI (Sub-Inspector)
No. (132510398) to take up the investigation (को जांच लेने वाले अधिकारी के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (वाच के लिए):

or (के कारण इन्कार किया)

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the
complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई तथा और
R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant /
Informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का
निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की
दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge, Police Station

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): TRANA PRABHARI

Rank (रक): I (Inspector)

No. (नं.): 5454403972

रिपोर्ट थाना ब्रह्मपुरी मेरठ


सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद - मेरठ

विषय: जांच प्रार्थना पत्र IGRS 9191380019834 आवेदक श्री चन्द्र शेखर गुप्ता निवासी साईपुरम थाना
ब्रह्मपुरी मेरठ के संबंध में आख्या-
महोदय,

निवेदन यह है कि आवेदक श्री चन्द्र शेखर गुप्ता निवासी उपरोक्त के प्रा० पत्र की जांच HCP
सतीश चन्द द्वारा मौके पर जाकर की गयी तो वाक्यात आवेदक से वीडियो फुटेज निकल वाकर देखी गयी तो
विपक्षी द्वारा अपनी कार बैक करने पर दोनो में कहा सुनी होती हुई पायी गयी कुछ समय पूर्व भी आवेदक द्वारा
विपक्षी संजीव जैन के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग संख्या 250/19 धारा 147/148/452/323/506 भादवि
में पंजीकृत कराया गया था जिसमें दि० 8/5/19 को CS न० 170/19 माननीय न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।
पुलिस गस्त बराबर करायी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है


प्रभारी निरीक्षक
थाना ब्रह्मपुरी मेरठ



Jansunwai(1/1)

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मेरठ।**

शुभम आईजीआरएच संदर्भ संख्या 01913600019834 का सम्बन्ध ग्रहण करने की कृपा करें जो आवेदक श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किरान गुप्ता निवासी 13 गली नं० 3 साईपुरम दिल्ली रोड थाना ब्रह्मपुरी मेरठ के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में जीव कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

जीव आख्या-

आवेदक उपरोक्त के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जीव की वाक्यांश इस प्रकार पाये गये कि आवेदक श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किरान गुप्ता निवासी 13 गली नं० 3 साईपुरम दिल्ली रोड थाना ब्रह्मपुरी मेरठ व विपक्षीयण राजीव जैन की फैक्ट्री आसपास ही है। पूर्व में दोनों पक्षों के बीच हुये विवाद के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा थाना ब्रह्मपुरी पर प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसकी जीव उ०नि० श्री अंकित कुमार द्वारा की गयी। आवेदक चन्द्रशेखर गुप्ता द्वारा लगाये गये आरोप असत्य पाये गये तथा वादी राजीव जैन द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 18.9.19 को आवेदक चन्द्रशेखर बाबल आकाश व 03 अज्ञात के विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी पर मु०आ०सं० 585/19 धारा 147,148,336,504,506,427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० श्री अंकित कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 21.4.19 को वादी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किरान गुप्ता निवासी 13 गली नं० 3 साईपुरम दिल्ली रोड थाना ब्रह्मपुरी मेरठ द्वारा प्रतिवादी 1-राजीव जैन 2-सोनू 3-विनय 4-अबकर 5-वमैन्द 6-मिन्दू 7-नदीम की मिलित फेक्टरी के अन्दर आकर पत्नी व बेटे के साथ मारपीट व जान शो मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना ब्रह्मपुरी पर मु०आ०सं० 250/19 धारा 147,148,452,323,506 भादवि पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ०नि० श्री अंकित कुमार के सुपुर्द की गयी। विवेचना के दौरान नामित नदीम की नमजदगी महत पायी गयी तथा सोच समी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं० 170/19 दिनांक 8.5.19 को जितान कर मा० न्यायालय दाखिल किया जा चुका है।

मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मपुरी को साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण करने तथा दोनों पक्षों पर सर्तक दृष्टि रखते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सत्यमेव जयतेपरि
दिनांक:सितम्बर 2019

(सकपाणि त्रिपाठी)

क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी

जनपद मेरठ।

प्रतिलिपि-प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मपुरी मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**जनपद मेरठ।**

कृपया आईजीआरएस संदर्भ संख्या 2001382000871 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो आवेदक श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता निवासी साईपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप-

आवेदक उपरोक्त द्वारा संलग्न प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण राजीव जैन आदि के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र देने आदि कतिपय आरोप अंकित किये गये हैं।

जाँच आख्या-

संदर्भित प्रकरण में जाँच से वाक्यात इस प्रकार पाया गया कि आवेदक चन्द्रशेखर व विपक्षी राजीव जैन व्यापारी हैं और दोनों पक्षों की फैक्टरी आसपास ही है। दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही मतभेद चले आ रहे हैं। दिनांक 21.4.19 को वादी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता निवासी 13 गली न० 3 साईपुरम दिल्ली रोड थाना ब्रहमपुरी मेरठ द्वारा प्रतिवादी 1-राजीव जैन 2-सोनू 3-विनय 4-अबकर 5-धर्मेन्द्र 6-मिन्दू 7-नदीम के विरुद्ध फैक्टरी के अन्दर आकर पत्नी व बेटे के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना ब्रहमपुरी पर मु०अ०सं० 250/19 धारा 147,148,452,323,506 भादवि पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ०नि० श्री अंकित कुमार के सुपुर्द की गयी। विवेचना के दौरान नामित नदीम की नामजदगी गलत पायी गयी तथा शेष सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं० 170/19 दिनांक 8.5.19 को कित्ता कर प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिनांक 18.9.19 को वादी राजीव जैन प्र० अरिहन्त ब्राईटबार इन्डस्ट्रीज गली न० 03 साईपुरम दिल्ली रोड ब्रहमपुरी मेरठ द्वारा चन्द्रशेखर बादल, आकाश व 03 अज्ञात के विरुद्ध थाना ब्रहमपुरी पर मु०अ०सं० 585/19 धारा 147,148,336,504,506,427 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री शैलेन्द्र के द्वारा सम्पादित की गयी। नामित अभियुक्तगण चन्द्रशेखर, बादल व आकाश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं० 530/19 दि० 18.12.19 को कित्ता कर प्रेषित की जा चुकी है। तीन अज्ञात के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। विपक्षी राजीव आदि के शस्त्र लाईसेंस निरस्त करने विषयक कार्यवाही जिलाधिकारी मेरठ महोदय से अपेक्षित है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि

दिनांक: जनवरी, 2019

(चक्रपाणि त्रिपाठी) 20
क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी
जनपद मेरठ।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म -1)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): मेरठ P.S. (थाना): बृहमपुरी Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि.) 0585 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 18/09/2019 13:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अभिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	336
4	भा द सं 1860	504
5	भा द सं 1860	506
6	भा द सं 1860	427

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): सोमवार Date From (दिनांक से) 09/09/2019 Date To (दिनांक तक) 09/09/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से) 20:30 बजे Time To (समय तक) 20:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 18/09/2019 Time (समय): 13:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 030 Date & Time (दिनांक और समय): 18/09/2019 13:40 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 4 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): साईपुरम

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): राजीव जैन

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अरिहन्त ब्राइटवार इन्डस्ट्रीज, गली नं0 3 साईपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत



2	स्थायी पता	अरिहन्त ब्राइटबार इन्डस्ट्रिय, गली नं० 3 साईपुरम, ब्रहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	---

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(जात / संदिग्ध / अजात अभिसूक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	चन्द्रशेखर		पिता का नाम : किशनचन्द	1. गली नं० 3 साईपुरम, ब्रहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	बादल		पिता का नाम : चन्द्रशेखर	1. गली नं० 3 साईपुरम, ब्रहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
3	आकाश		पिता का नाम : चन्द्रशेखर	1. गली नं० 3 साईपुरम, ब्रहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
4	दो-तीन व्यक्ति अजात			1. अजात, अजात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रा० पत्र साईपुरम थाना-सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्थी अरिहन्त ब्राइटबार इन्डस्ट्रिय के नाम से साईपुरम क्षेत्र थाना ब्रहमपुरी में फैक्ट्री चलाकर अपना अधोगिक संस्थान का संचालन करता है। प्रार्थी एक शान्तिप्रिय, सामाजिक व आर्थिक रूप से व्यवस्था करके अपना कार्य करता है विपक्षी चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किशनचन्द गुप्ता नि० गली नं० 3 साईपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ एक सरकश गिरोहबन्द व्यक्ति है तथा उसने अपने लडके बालू व आकाश को अपने साथ लेकर तथा कुछ स्थानीय गुण्डों के साथ मिलकर एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है, जो गाड़ी का नंबर भी परवाह न करके समय गैरकानूनी एवं गैर सामाजिक हरकतों में मशगूल रहता है तथा अपनी गुण्डागर्दी तथा गिरोहबन्दी का प्रभाव दिखाकर आसपास के सभी उद्योगपति तथा व्यापारियों को अपने साथ बददो बटमाश का साथ होने पर रौब दिखाकर सभी को अपना दवाब में रखता है तथा पूर्व में भी वह अपने अपराधिक कार्यों के कारण रंगदारी आदि मागने में मुकदमों में भी थाना ब्रहमपुरी से मतलूब चल रहा है श्रीमान जी कल दिनांक 09.09.2019 की रात्रि करीब 8.30 बजे प्रार्थी अपने फैक्ट्री अरिहन्त ब्राइटबार स्थित साईपुरम मेरठ को बन्द करने के बाद अपनी गाड़ी से वापस घर जाने के लिये गाड़ी मोड़ रहा था तथा प्रार्थी की फैक्ट्री कर्मचारी विनय गाड़ी के बाहर से गाड़ी बैक करा रहा था तो विपक्षी चन्द्रशेखर व उसके लडके बादल व आकाश अपने साथ दो-तीन गुण्डों को लेकर डण्डों से मुसल्लाह होकर पहले से घात लगाये बैठे थे, परन्तु आये और प्रार्थी की गाड़ी को घेरकर प्रार्थी को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकलने की धमकी देने लगे। प्रार्थी ने अपने कर्मचारी विनय को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी लेकर जाने लगा तो विपक्षी चन्द्रशेखर अपने लडके आकाश व बादल तथा अपने साथ लगे गुण्डों से कहा कि आज इस साल को जाने से मार दो और विपक्षीगण ने प्रार्थी की गाड़ी पर चारों तरफ से ईट पत्थर बरसाये व हाथ में लिये डण्डे गाड़ी पर बजाये और गाड़ी के शीशे आदि तोड़ दिये। प्रार्थी ने तुरन्त 100 नम्बर पर सूचना दी। विपक्षीगण द्वारा किया गया उपरोक्त पूर्ण जानलेवा हंगामा प्रार्थी की फैक्ट्री में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में भी रिकार्ड हुआ। प्रार्थी ने तुरन्त ही उपरोक्त घटना की रिकार्डिंग सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित की है। विपक्षीगण प्रार्थी व उसके परिवार को धमका कर जाने से मारने की धमकी देकर व प्रार्थी की फैक्ट्री को आग लगाकर फुकने की धमकी दे रहे हैं तथा पिछले 3-4 दिनों से विपक्षीगण प्रार्थी से लगातार 50 हजार रुपये देने का दवाब दे रहा था तथा विपक्षियों के विरुद्ध टायर रंगट (रेमूक) वापिस लेने का दवाब दे रहा था। प्रार्थी द्वारा नाजायज रंगदारी देने एवं मुकदमा वापिस लेने पर विपक्षीगण प्रार्थी के ऊपर यह नाजायज हमला कर रहा है। थाना ब्रहमपुरी पुलिस विपक्षीगण से मिलकर साठ गांठ करके कोई



P-49

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फॉर्म -1)

कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना ब्रहमपुरी को आदेशित किया जाये कि विपक्षीयता के विरुद्ध मुकदमा कायम करके सख्त कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही करे। आपकी अति कृपा होगी। दिनांक 13/9/19 टस व्यक्तियों से रंगदारी मांगने के मुकदमे की चार्जशीट संलग्न कर रहा हूँ। प्रार्थना है 0 अग्रेजी अपठित राजीव जैन प्रो0 अरिहन्त बाईटवार इन्डस्ट्रीज गली नं0 3 साईपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ मो0नं0 9456662233 नोट- मैं एचएम 368 मांगेस प्रमाणित करता हूँ कि प्रो0 पत्र की नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर पर का0 2543 नितिन कुमार से शब्द शब्द टाईप कराई गई। तथा कायमी मेरे द्वारा की गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ANKIT CHAUHAN Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No. (132510398 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA PRABHARI
Rank (पद): (Inspector)
No. (नं): 9454403972



3

COPY XEROXED & COMPARE
WORDS COUNT.....
CIVIL COURT, MEERUT

भारत प्रतिलिपि

भारत प्रतिलिपिक
राजीव मेरठ

6 JUN 2025

Cont

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जॉच फॉर्म -1)

Year (वर्ष): 2020

1. District (ज़िला): मेरठ
FIR No. (प्र.सू.रि. 0448)

P.S. (थाना): बृहमपुरी

Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 30/07/2020 19:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	323
2	भा दं सं 1860	324
3	भा दं सं 1860	352
4	भा दं सं 1860	504

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): सोमवार

Date From (दिनांक से 13/07/2020

Date To (दिनांक तक): 13/07/2020

Time Period (समय अवधि): पहर 7

Time From (समय से) 21:00 बजे

Time To (समय तक): 21:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 30/07/2020

Time (समय): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 049

Date & Time (दिनांक और समय): 30/07/2020 19:01 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 3 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): साईपुरम

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सोनू

(b) Father's Name (पिता का नाम):

देवराज

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सै0 3 कमेटी हाल के पीछे, माधवपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सै0 3 कमेटी हाल के पीछे, माधवपुरम, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

श्रीमती
0200 2100चक्रवर्ती
निपाठी
क्षेत्राधिकारी बृहमपुरी
जनपद-मेरठ

1

Sey
SPD. C.J.M.
MEERUT (UP)
05/08/20

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	चन्द्रशेखर			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	आकाश			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
3	बादल			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष ब्रह्मपुरी मेरठ महोदय मेरा नाम सोनू S/o देवराज निवासी सैक्टर 3 कमेटी होल के पीछे माधवपुरम मे रहता हूँ। मैं साईपुरम गली न0 3 में लोहे की फैक्ट्री में काम करता हूँ। आज दिनांक 13-7-2020 को जब मैं फैक्ट्री से काम करके रात को लगभग 9 बजे अपने घर जा रहा था तब चन्द्रशेखर व उसके दो गुण्डे लड्डके आकाश व बादल मुझे गाली देने लगे मैंने उन लोगो से गाली देने से मना किया तब तीनों मुझे मारने के लिए दौड़े मैं वहाँ से भागकर रेल की पटरी की तरफ भागा तो वह तीनों भी मेरे पीछे धारदार हथियार लेकर दौड़े और मुझे रेल की पटरी के पास पकड़ लिया और तीनों ने मुझ पर जान लेवा हमला कर दिया जिसमे मेरी नाक के उपर व आख के नीचे काफी घाव हो गया तथा मेरी छाती पर भी उन्होंने चाकू से वार कर दिया एवं तीनों ने लात व घूसो से मेरी खूब पिटाई करी एव मुझे लहुलुहान कर दिया जिसमे मेरे सारे कपडे भी फट गये इस घटना को यहाँ से गुजर रहे आदमियों ने देखा जिसका नाम जुल्फकार S/o जमील एवम नीरज S/o मदन है। अब तक मैं अपना उपचार कराता रहा और कुछ स्वस्थ होने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर इन बटमाशो पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करो। धन्यवाद सोनू S/o देवराज निवासी सैक्टर 3 कमेटी हाल के पीछे माधवपुरम ह0 सोनू 8393071663 30-7-2020

नोट- मैं सीसी 1154 शिवकुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर कि नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर पर क0आ0 अजय कुमार से शब्द व शब्द टाईप कराई गई तथा कायमी मेरे द्वारा की गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): VEERPAL SINGH Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (972660279)

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया
(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):


15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

7.20
★ Signature of Officer in charge, Police Station
(शा. प्र. प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): MANA PRABHARI
Rank (पद): Inspector
No. (नं.) 5454403972

COPY XEROXED & COMPARE
WORDS COUNT... 500...
CIVIL COURT, MEERUT

जिला एवं सत्र
न्यायाधीश के कार्यालय

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ



विषय :- दिनांक 13-7-2020 को झुठा मेडिकल कराने व दिनांक 4-30-7-2020 को झुठी F.i.R. No. 0448 थाना वृद्धमपुरी में दर्ज कराने के सम्बन्ध में

श्रीमान जी, सोनु पुत्र देवराज द्वारा दिनांक 13-7-2020 को झुठा मेडिकल कराया गया और दिनांक 30-7-2020 को झुठी F.i.R दर्ज थाना वृद्धमपुरी में थाने में मिली बगल करके दर्ज कराया गया है।

सोनु पुत्र देवराज राजीव जैन पुत्र मांगेलाल जैन के पद्यों काम करता है। राजीव जैन द्वारा दिनांक 18-9-2019 को F.i.R. No. 0585 झुठा मुकदमा थाना वृद्धमपुरी में कराया था उसल बात पद है कि दिनांक 20-4-2019 को राजीव जैन

11 आदमीयो के साथ प्रार्थी की फेक्री के अन्दर आकर प्रार्थी की पत्नि रश्मि से अश्लीलता व अश्लील बातें व बेटे आकाश गुप्ता के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी पद सारी घटना फेक्री के अन्दर बाहर लगे C.C.TV कमरे में रिकार्ड हो गयी तब राजीव जैन आदि पर दिनांक 21-4-2019 को F.i.R. No. 0250 थाना वृद्धमपुरी में दर्ज हुई।

राजीव जैन द्वारा दबाव बनाने के लिए झुठी F.i.R दर्ज कराया गया है आपसे प्रार्थना है कि मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में 5 डाक्टरों की कमेटी गठित करके सोनु पुत्र देवराज की मेडिकल जांच रिपोर्ट बनाये अति कृपा होगी।

संलग्न - 1. मेडिकल रिपोर्ट व स्कंसरे रिपोर्ट

2. दिनांक 30-7-2020 की F.i.R की कापी

दिनांक 13-10-2025

प्रार्थी

पन्ड शैलेश गुप्ता

103, गली नं०-3

साईपुरम, दिल्ली रोड

मेरठ - 38 प्र०

थाना- वृद्धमपुरी

M.No. 7302538639

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(सारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): मेरठ P.S. (थाना): कोतवाली Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू.रि.) 0022 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 12/02/2021 19:37 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	353
2	भा द स 1860	504
3	भा द स 1860	506

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार

Date From (दिनांक से) 12/02/2021

Date To (दिनांक तक): 12/02/2021

Time Period (समय अवधि): पहर 4

Time From (समय से): 11:00 बजे

Time To (समय तक): 11:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 12/02/2021

Time (समय): 19:27 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 041

Date & Time (दिनांक और समय): 12/02/2021 19:27 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): वील्कुआ

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री शैलेन्द यादव

(b) Father's Name (पिता का नाम): श्री रमेश यादव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष): 1993

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अवर अभियन्ता, 11/04 केवी उपस्थान तहसील, कोतवाली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सहजौली पोस्ट पिपरा चन्दभान, देवीरिया, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9193330277

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(जात / सदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	चन्द्रशेखर गुप्ता			1. नामालूम, कोतवाली मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर..... सेवा मे श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना कोतवाली मेरठ आज दिनांक 12/02/2021 समय लगभग 11.00 बजे उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त शिकायती पत्र पत्रांक 316/09-02-2021 के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता श्री किशन गुप्ता निवसी 114 विरू कुँआ मेरठ के परिसर पर उनके धर्मपत्नी से नाम से लगे संयोजन (जो पूर्व में कटा होने के कारण पी0डी0 कर दिया गया है) पर लगे मीटर को उतारने हेतु मय टीम सदस्य श्री पवन शर्मा Tr 2 व स्वयं मै शैलेश कुमार यादव अवर अभियन्ता पहुंचे तो वहाँ पूर्व से उपस्थित श्री चन्द्र शेखर गुप्ता द्वारा मीटर नहीं उतारने दिया गया एवं उल्टी मुझे एवं टीम सदस्य श्री पवन शर्मा को उल्टी सीधी गाली गलौच देते हुए धमकी दी गयी आपको झूठा आरोपो मे फसाऊंगा। अतः महोदय उपरोक्त व्यक्ति चन्द्रशेखर गुप्ता के विरूद्ध सरकारी कार्य मे बाधा एवं सरकारी कर्मचारी को धमकाने, गाली गलौच करने के आरोप मे उचित धारा के अर्गत प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करे। एसडी अपठित शैलेश यादव अवर अभियन्ता 11/04 केवी उपस्थान तहसील कोतवाली मो0न0 9193330277 शैलेश यादव s/o श्री रमेश यादव ग्राम सहजौली पोस्ट पिपरा चन्द्रभान जिला देवरिया (उ0प्र0) थाना कोतवाली पवन कुमार शर्मा TG 2 लाईन 7500273483 नोट:- मैं एचएम 793 संजय कुमार प्रमाणित कराता हूँ कि रो0आम मे खुलासा स्वयं मेरे द्वारा व तहरीर की नकल मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द बोल कर कम्प्यूटर ऑपरेटर अजय प्रताप सिंह से टाईप करायी गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item (की गयी कार्यवाही: वृकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): UTTAM KUMAR
No. (172510286

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):
to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (के कारण इकार किया

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA PRABHARI

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403983

0121-2420799
फैक्स : 0121-2420799
ई-मेल : eeeudd_1@yahoo.com
राष्ट्र हित में विलजी बचाये



P-58

कार्यालय
Office of the
अधिशायी अभियन्ता
EXECUTIVE ENGINEER
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम
Electricity Urban Distribution Division-1
घंटाघर, मेरठ
Ghantaghar, Meerut-250001

पत्रांक:- 602 / वि०न०वि०ख०-प्रथम/ज०सू०अ०/मेरठ दिनांक:- 23-03-2023
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री चन्द्र शेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता, निवासी-78/114, वीरू कुआँ, मेरठ, दूरभाष संख्या-9411641984 द्वारा योजित प्रथम अपील दिनांक 18.02.2023 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

श्री चन्द्र शेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता,
निवासी-78/114, वीरू कुआँ, मेरठ।
दूरभाष संख्या-9411641984

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण मंडल, मेरठ को प्रेषित आप अपनी प्रथम अपील दिनांक 18.02.2023 जोकि अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय पत्रांक 8250/वि०न०वि०म०/मे०/जनसूचना दिनांक 02.03.2023 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.03.2023) के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

अवगत कराना है (यदपी आप संज्ञानित हैं) कि, प्रस्तुत प्रकरण में आपके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आपको पत्रांक 365/वि०न०वि०ख०-प्रथम/ज०सू०अ०/मेरठ दिनांक 13.02.2023 सूचनार्थ एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इस सुझाव के साथ प्रेषित किया गया था कि, "कृपया वांछित/चाही गई सूचना स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित/उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वांछित सूचना प्रदान किया जाना सम्भव हो सके" किन्तु आपके द्वारा उपरोक्त पत्र को अवलोकित न करते हुए प्रस्तुत अपील योजित कर दी गई है जोकि स्वयं में महत्वहीन होने के साथ ही साथ विधि सम्मत भी नहीं है किन्तु फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम 2003 एवं आपके द्वारा योजित प्रथम अपील की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए अद्योहस्ताक्षरी/जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण को पुनः अवलोकित किया गया जिससे यह परिलक्षित हुआ कि, सम्भवतः आपके द्वारा विद्युत संयोजन खाता संख्या 1805940000 के सन्दर्भ में सूचना चाही गई है।

यथा उपरोक्त, विद्युत संयोजन खाता संख्या 1805940000 के सन्दर्भ में खण्ड कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड/ऑनलाईन विवरण/उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त आख्या/पूर्व पत्रांकों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आपको निम्नवत सूचना प्रेषित की जाती है:-

"विषयगत विद्युत संयोजन खाता संख्या 1805940000 श्रीमति मिथलेश कुमारी पत्नि श्री कृष्ण एल० गुप्ता, निवासी-114, वीरू कुआँ, मेरठ के नाम से विद्यमान था जोकि दिनांक 07.12.2016 को स्थाई रूप से विच्छेदित हो चुका है तथा स्थाई विच्छेदन के उपरान्त संयोजन पर बकाया धनराशि अंकन रु० 7,621/- का पूर्ण भुगतान दिनांक 22.01.2021 को रसीद संख्या 180594008873 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। संयोजन के स्थाई विच्छेदन के दौरान परिसर के बन्द रहने के कारण उक्त संयोजन को एन०एम०एस० में पी०डी० किया गया तथा विद्युत मीटर परिसर के अन्दर ही बन्द रह गया। दिनांक 12.02.2021 को समय लगभग प्रातः 11:00 बजे पुनः मीटर को उतारने हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता मय टीम परिसर पर पहुंचे तो मौके पर मौजूद श्री चन्द्रशेखर गुप्ता द्वारा विद्युत टीम के साथ अमद्र व्यवहार किया गया (गाली गलौच/अमर्यादित भाषा का प्रयोग) एवं विद्युत मीटर उतारने नहीं दिया गया। विवष होकर सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा श्री चन्द्रशेखर गुप्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली, मेरठ में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। वर्तमान में भी उक्त परिसर के बन्द रहने के कारण विद्युत मीटर विभाग को प्राप्त नहीं हो पाया है।

प्रदत्त सूचना ग्रहण करें।

(मनाज अग्रवाल)
अधिशायी अभियन्ता
एवं जनसूचना अधिकारी

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 एच प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): मेरठ

FIR No. (प्र.सू.नि. सं.): 0197

P.S. (थाना): बृहमपुरी

Year (वर्ष): 2019

Date & Time of FIR (प्र.सू.नि. की दिनांक/समय): 28/03/2019 17:50 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अभिनियम)

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अभिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	221
2	भा द सं 1860	224
3	भा द सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): गुरुवार

Time Period (समय अवधि): पहर 1

Date From (दिनांक से): 28/03/2019

Date To (दिनांक तक): 28/03/2019

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 28/03/2019

Time (समय): 17:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 038

Date & Time (दिनांक और समय): 28/03/2019 17:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 3.5 किमी

(b) Address (पता): होटल मुकुट महल दिल्ली रोड

Beat No. (बीट सं.):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): उ०नि० मागेराम

(b) Father's Name (पिता का नाम):

स्व० भरत सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना बृहमपुरी, बृहमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम खेडाजट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत



(I) Occupation (व्यवसाय):

(II) Phone number (दूरभाष नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	उमिठ देवराज रघाणी			1. फतेहगढ़ पुलिस लाइन, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
2	होकाठ 274 सतीश कुमार			1. फतेहगढ़ पुलिस लाइन, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
3	आरडी 141 सुनील कुमार			1. फतेहगढ़ पुलिस लाइन, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
4	आरडी 767 राजकुमार			1. फतेहगढ़ पुलिस लाइन, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
5	आरडी 81 ओमबीर			1. फतेहगढ़ पुलिस लाइन, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
6	काठ चालक भूपेन्द्र सिंह			1. फतेहगढ़ पुलिस लाइन, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत
7	एहतेसाम इलाही		पिता का नाम : इनायत इलाही	1. साहनारथन, कौतवाली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
8	जवाहर लाल		पिता का नाम : रामलाल	1. 84/5 पंजाबीपुरा, ट्रान्सपोर्टनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
9	शिशुपाल उर्फ बन्दी		पिता का नाम : ओमप्रकाश	1. लोहया, जलेश्वर, एटा, उत्तर प्रदेश, भारत
10	सोनू सहगल			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
11	सिकन्दर		पिता का नाम : बटन सिंह उर्फ बटदो	1. बेटीपुरा, ट्रान्सपोर्टनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
12	पपीत बडना			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
13	लल्लू मकंड			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
14	मुकेश गुसा होटल मालिक			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
15	दिपिन सूरि			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
16	अनिल छाबड़ा उर्फ जिम्मी			1. अदम तहरीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
17	बटन सिंह उर्फ बटदो		पिता का नाम : चरण सिंह	1. बेटीपुरा, ट्रान्सपोर्टनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
18	अज्ञात			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी भाषी सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना-ब्रह्मपुरी मेरठ महोदय, निवेदन है कि मैं उ०नि० मांगेराम बाना ब्रह्मपुरी मेरठ बंधाने र०न० 27 समय 14.15 बजे चौकी क्षेत्र साफिस्त मल में देवीच शान्ति व्यवस्था व पंकिम सतिश व्यवस्था/ डिप्टी में मामू का मुझ उ०नि० को सूचना मिली की आजीवन कारावास से दोष सिद्ध कुख्यात अपराधी बटन सिंह उर्फ बट्टो 8/0 धरण सिंह निवासी बेरीपुरा थाना टीपी० नगर जनपद मेरठ जो फतेहगढ़ जेल में निरदंड है। जिसको आज दिनांक 28/03/19 को जनपद फतेहगढ़ जनपद की जेल से जनपद की पुलिस द्वारा पैसी के लिये जनपद गाजियाबाद जलनीय न्यायालय में लाया गया था जिसमे जनपद फतेहगढ़ पुलिस लाईन में तैनात उ०नि० देवराज त्यागी, HC 274 सन्तोष कुमार, आरक्षी 141 सुनील कुमार, आरक्षी 767 राजकुमार, आरक्षी 91 योगवीर व का० बालक भूपेन्द्र सिंह मय सरकारी गाडी UP 76 G-0300 के द्वारा अभियुक्त बटन सिंह उर्फ बट्टो को पैसी के बाद फतेहगढ़ वापस ले जाना था उक्त पुलिस कर्मियों द्वारा जान बूझकर आजीवन कारावास से दोष सिद्ध कुख्यात अभियुक्त बटन सिंह उर्फ बट्टो के साथ मिलकर उसके अन्य साथियों एहतेसाम इलाही 8/0 इनायत इलाही नि० मी० शाहनवाज कोतवाली मेरठ व जवाहर लाल S/O रामलाल निवासी 64/5 पंजाबीपुरा थाना टीपी० नगर जनपद मेरठ व शिबुपाल उर्फ बंटी S/O ओमप्रकाश निवासी लोहा थाना जलेश्वर जनपद एटा जो दूसरी गाडी में साथ-साथ अपराधिक बंडयन्त्र के तहत पुलिस कर्मियों की गाडी के साथ- 2 मेरठ आये तथा विधिपूर्ण स्वेच्छा से जानबूझ कर भगाने का बंडयन्त्र के तहत अभियुक्त को जनपद गाजियाबाद से जनपद फतेहगढ़ न जाकर बंडयन्त्र के तहत जनपद मेरठ में होटल मुकुट महल ले आये जहा का अभियुक्त रहने वाला है होटल में अपराधिक बंडयन्त्र के तहत होटल में पहले से ही मौजूद व आसपास मौजूद सौमू, सहगल, व सिकन्दर अमि० बटन सिंह उर्फ बट्टो का लडका है व पपीत बडला, लल्लू मंकड, मुकेश गुमा (होटल मालिक) व दिपिन चुरी व अनिल छाबड़ा उर्फ जिम्मी आदि अन्य द्वारा योजना के मुताबिक अभियुक्त को स्वेच्छा से विधि पूर्ण अभिरक्षा से समय शाम के समय भगा दिया तथा साथ में मिलकर होटल में खाना खाया तथा उक्त पुलिस कर्मियों व सभी अभियुक्तगणों का यह जुर्म धारा- 221, 224, 120B IPC की हद को पहुंचता है। महोदय से अनुरोध है कि मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर अग्नेयी अपडिंत 28/3/19 प्रार्थी (मांगेराम) उ०नि० थाना- ब्रह्मपुरी मेरठ नोट- मैं सीसी 2305 नफीस अहदम प्रमाणित करता हू कि तहरीर कि नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर कांप्यूटर पर क०आ० अजय कुमार से शब्द, व शब्द टाईप करवाई गईं तथा कायमी मेरे द्वारा की गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही: चूकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: THANA PRABHARI(I (Inspector)) / 9454403972 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Insp मिर्तेश्वर सक्सेना Rank (पद): निरीक्षक, अपराध
No. () to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया)

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): THANA PRABHARI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403972

P-54

जाँच पत्र

थाना ASP कोतवाली
कम संख्या 17113

जनपद मेरठ
दिनांक 25/8/25

1. आवेदक का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर
2. विपक्षी का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर
3. आरोप का संक्षिप्त विवरण
4. प्राप्त कर्ता अधि./कर्म. का नाम, पद एवं हस्ताक्षर
5. जाँचकर्ता अधि./कर्म. का नाम, पद व मोबाइल नम्बर
6. थानाध्यक्ष का मोबाइल नम्बर
7. क्षेत्राधिकारी का मोबाइल नम्बर

चन्द्रशेखर गुप्ता पठ स्व० श्री डिशन
गुप्ता पठ 103 गली वृद्ध साईपुरम
क्षेत्र सहाय सहाय व सौर निठ
साईपुरम दिल्ली रोड
पार घुठे मुकदमा तथा मार पीट
के सम्बन्ध में

LHC सीमा राजा

945440

945440 1579

आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरठ

आदरणीय श्रीमान जी प्रार्थी के खिलाफ थाना वृहमपुरी, मेरठ में फर्जी झूठे मुकदमों दर्ज कराये जाये हैं। इन मुकदमों में जे. व. डे. वेंटे. C.A. आकाश गुप्ता व वादल गुप्ता प्रोप्राइटर M/S पितारबरा स्टील के नाम शामिल हैं एक मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज कराया गया है। इन सभी मुकदमों का विवरण प्रार्थी नीचे लिख रहे हैं। यह सभी मुकदमों फर्जी हैं झूठे हैं इसके सभी साक्ष्य प्रार्थी के पास मौजूद हैं। झूठे मुकदमों दर्ज कराने वाले व्यक्तियों ने थाना वृहमपुरी व थाना कोतवाली में रुपये देकर मुकदमों दर्ज कराये और विवेचक से भी रुपये देकर चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल करायी है और प्रार्थी और उसके बेटे परिवार को इन झूठे मुकदमों की वजह से आर्थिक शारीरिक व मानसिक कष्ट भुगटना पड रहा है।

1. मुकदमा संख्या 0537 दिनांक 18-9-2017
अन्तर्गत धारा - 384, 504, 506
थाना वृहमपुरी

मुकदमा दर्ज कराने वाला अजय सहजल उर्फ सोनु सहजल पुत्र नन्द किशोर सहजल है। यह व्यक्ति कुरबाना व आजीवन कारावास से दोष सिद्ध व दण्डित उर्फ बदमाश श्री चरण सिंह थाना टी.पी. नगर को दिनांक 28-3-2019 को पुलिस अभिरक्षा से फरार कराने में नामजद है इस व्यक्ति के खिलाफ थाना वृहमपुरी में FIR No. 0197/2019 अन्तर्गत धारा - 221, 224, 120B, 222, 204, 223, 225, 420, 467, 467, 471, 472 में मुकदमा दर्ज है। माननीय न्यायालय में चार्ज शीट भेजी जा चुकी है।

P-1

2. मुकदमा संख्या 0585 दिनांक 18-9-2019
अन्तर्गत धारा - 147, 148, 336, 504, 506, 427
थाना - वृद्धमपुरी

मुकदमा दर्ज कराने वाला राजीव जैन पुत्र मांगे लाल है
यह व्यक्ति N.R.H.M छोड़ने में अभिप्रेत है।
इसका पुत्र अक्षय जैन उर्फ पिल्ला के खिलाफ अरिस्टेंट
कमीशनर अन्तरिक्ष कुमार धीवास्तव द्वारा दिनांक 6-10-2024
को थाना साहिबानाद में F.i.R No. 0381/2024
द्वारा कमीशनर के कार्यालय के अन्दर कपडे उतारकर
दंगा मारना, G.S.T. चोरी करना, सरकारी कार्य में बाधा
डालना व धमकी देना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
अक्षय जैन उर्फ पिल्ला अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से प्रार्थी व
प्रार्थी की पत्नि पर गोली चला चुका है।

3. मुकदमा संख्या - 0448 दिनांक 30-7-2020
अन्तर्गत धारा - 323, 324, 352, 504
थाना - वृद्धमपुरी

मुकदमा दर्ज कराने वाला सोनु पुत्र देवराज है और यह
व्यक्ति राजीव जैन और अक्षय जैन उर्फ पिल्ला के यहाँ काम
करता है। सोनु पुत्र देवराज, राजीव जैन व अन्य 11
व्यक्तियों के साथ दिनांक 20-4-2019 को प्रार्थी
चन्द्र शेखर की फेक्ट्री के अन्दर आकर प्रार्थी की पत्नि
रश्मि से अश्लील बातें व अश्लीलता की गप्पें प्रार्थी के बड़े बेटे
आकाश गुप्ता से शरपीट जान से मारने की धमकी दी गयी
दिनांक 20-4-2019 को फेक्ट्री के अन्दर बाहर लगे C.C.T.V. कैमरे
में यह शारी घटना दर्ज हो गयी और C.C.T.V फुटेज देवकार
F.i.R No. 0250 दिनांक 21-4-2019 अन्तर्गत धारा 147, 148
452, 323, 506 दर्ज की गयी। निवेचक अंकित चौहान को घटना
की C.D बनाकर दी गयी लेकिन निवेचक ने चार्जशीट के
साथ C.D कोर्ट में दाखिल नहीं की।

यहाँ काम करने वाले व्यक्ति सोनु, बिनय, अकबर, धमेन्द्र
 मिन्दु, नदीम आदि व्यक्तियों से कई बार प्रार्थी व प्रार्थी
 के परिवार पर जानलेवा हमला करा चुके हैं। थाना बृहमपुरी
 पुलिस द्वारा F.I.R दर्ज न करके हर बार N.C.R दर्ज की जाती
 और न ही अक्षय जैन उर्फ पिबला के पिस्तौल का लाइसेंस
 निरस्त किया गया है। राजीव जैन व इसके पढ़ा काम करने
 वाला व्यक्ति सोनु पुत्र देवराज द्वारा प्रार्थी द्वारा दिनांक
 21-4-2019 को F.I.R No. 0250/2019 अन्तर्गत धारा
 147, 148, 452, 323, 506, थाना बृहमपुरी में दर्ज
 होने के बाद दोनों जुड़े मुकदमे दर्ज कराये गये हैं।

4. मुकदमा संख्या - 0022 दिनांक 12-2-2021
 अन्तर्गत धारा - 353, 504, 506
 थाना - कोतवाली

मुकदमा दर्ज कराने वाला शैलेन्द्र पादव पुत्र रमेश पादव है।
 21 जनवरी 2021 को मेरे भौ सं. 9411641984 पर फोन आया
 ज.ए शैलेन्द्र पादव कोल रहा हूँ आपका बिजली बिल बकाया है मैंने
 कहा बिजली बिल दे दो मैं जमा कर दूंगा। ज.ए शैलेन्द्र पादव ने
 लाइनमैन को भेज कर मीटर से शीडिंग ले ली और अगले दिन
 बिल देने को कहा। मैं अगले दिन बिजली घर पर बिल लेने का इन्तजार
 करता रहा जोर ज.ए नहीं आया। मैंने दिनांक 23-1-2021 को अधिशासी
 अभियन्ता धन्दाघर पर प्रार्थना पत्र दिया कि विद्युत संपोजन संख्या
 4876 वुक नं. 0236 खाता संख्या - 1805940000 मेरी माता
 मिथलेश कुमारी के नाम है इस कनेक्शन का बिल बनवा दे। अगले दिन
 अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से फोन आया कि इस कनेक्शन का पूर्ण
 भुगतान दिनांक 22-1-2021 को 7621/2 रुपये की रसौद सं. 1805940
 873 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। ज.ए शैलेन्द्र पादव
 ने प्रार्थी के साथ विश्वासघात करते हुए बिल बनवाकर सन्दीप गुप्ता
 को दे दिया। भुचन का अधिकार के तहत 22 जनवरी 2021 का

का लजला बल भाजन पर भी आज तक नहीं दिया गया है केवल विजली बिल की रसीद दी गयी। 26 जनवरी 2021 को कनेक्शन चालु कर दिया गया और फिर दोबारा 4 फरवरी 2021 को कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन काटने का कारण P.D बताया गया और विजली बिल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि विजली बिल में दिनांक 22-1-2021 तक की रीडिंग भरकर विजली बिल बना हुआ है इसलिए टाप से संचालित रजिस्टर में P.D दर्ज दी गयी उतारे मेरे रिबलाफ शुद्ध मुकदमा खाना कोतवाली में दर्ज होना जिसकी शिकायत शायी लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से करता रहा है। उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक - प्रभाकर चौधरी द्वारा C.O. कोतवाली अरविन्द चौरसिया को दी। जब तक प्रभाकर चौधरी मेरठ में रहे तब तक C.O. कोतवाली ने मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की और प्रभाकर चौधरी के मेरठ से ट्रांसफर होते ही चार्जशीट कोर्ट में भेज दी श्री मान जी आपसे प्रार्थना है कि एक इमानदार UPS अधिकारी से चारों झुठे मुकदमों की जांच कराये और कोर्ट में लिखकर दें कि सभी मुकदमों झुठे हैं। चारों मुकदमों के विवेचकों को बौकरी से वर्कसित करें और विवेचकों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। उपरोक्त सभी झुठे मुकदमों दर्ज कराने का मकसद मेरी फेक्ट्री को जौने पौने दाम में खरीदना है। झुठा मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्तियों ने तीन पब्लिक पार्क पर कब्जा किया हुआ है। तीनों पब्लिक पार्क के मुकदमों प्रार्थी पन्ड शंकर गुप्ता द्वारा N.G.T प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दापर रिपे हुए हैं।

M.A. No. 61/2023
 P.O. No. 1096/2024
 दिनांक-4-8-2025



प्रार्थी
 पन्ड शंकर गुप्ता
 S/o स्व० श्रीकिशन गुप्ता
 Fac. Add - 103, Gali No. 3
 Sai Sadam, Delhi Road.
 MEERUT, U.P.
 House Add - 114, Beldu Kuan
 MEERUT, City - U.P.
 M. No. 7302538639